UP RVUNL	**उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0** **(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)** **शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार** **14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001**

संख्या : 134–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013–11–मा0सं0–01/2002 (टीसी–2)   दिनांक : 17 जनवरी, 2013

फैक्स/पंजीकृत

अनुस्मारक
प्राथमिकता।

1– मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/।।),
ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/
पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)।

2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/।।),
कारपोरेट स्ट्रेटजी/पी0पी0एम0एम0/ईधन/तापीय परिचालन/
वाणिज्य/आर एण्ड एम/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :– **कार्मिकों द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया निगम (मु0) के आदेश सं0 4834–मा0सं0–01/विउनिलि/2012 दिनांक 20.12.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निगम में कार्यरत अधिकारियों/अधिकारिक्रों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रतिवर्ष (01 जनवरी से 30 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि 25 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी अपेक्षित संख्या में उपर्युक्त चल/अचल सम्पत्ति विवरण पत्र निगम मुख्यालय में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतएव इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों, जिनका अधिष्ठान स्वयं उनके स्तर पर सम्पादित किया जा रहा है, का अनुश्रवण अत्यन्त ही कड़ाई से सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे पुनः अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियन्त्रणाधीन सभी कार्मिकों को कड़े निर्देश देने का कष्ट करें कि जिन्होंने उक्त सम्पत्ति विवरण अभी भी उपलब्ध न कराये हों तो वे प्रत्येक दशा में अपनी चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण निगम में प्रचलित प्रारूपानुसार 30 जनवरी, 2013 तक निगम मुख्यालय में उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम–24(3) के प्राविधानों के उल्लंघन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसके वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील कुमार विद्यार्थी)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)

क्रमशः.....2/–

संख्या : 134 (1) मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2012–तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।

2– निदेशक (कार्मिक / वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

3– सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।

6– महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9– उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / रिफॉर्म / टाण्डा बाइंडिंग सेल एवं संसदीय कार्य / चिकित्सा / औ0सं0 / प्रशिक्षण / उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10– समस्त उप सचिव / अनु सचिव / अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

11– सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12– कट फाईल।

आज्ञा से,

16/1/2013

(सुनील कुमार विद्यार्थी)

मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)